

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 383]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2020—आश्विन 16, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2020

अधि. क्र. 225—एफ 1—197—2020—अठारह—3.— मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम—7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् वारासिवनी, जिला बालाघाट के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल आरक्षित वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 01, शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्र. 09, अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 04, तात्या टोपे वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 02, भगतसिंह वार्ड (2) वार्ड क्र. 03, वल्लभ भाई पटेल वार्ड (3) वार्ड क्र. 07, गुरुनानक वार्ड (4) वार्ड क्र. 15, नेहरू वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 01, शास्त्री वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 03, वल्लभ भाई पटेल वार्ड (2) वार्ड क्र. 07, गुरुनानक वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्र. 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 06, रानी दुर्गावती वार्ड (2) वार्ड क्र. 12, जगदम्बा वार्ड (3) वार्ड क्र. 13, राजेन्द्र वार्ड (4) वार्ड क्र. 14, आजाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 01-197-2020-अठारह-3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 225 एफ 01-197-2020-अठारह-3, दिनांक 8 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 8th October 2020

Not-No 225 F 01-197/2020/18-3 In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Palika Parishad Waraseoni District Balaghat published as Follows.

No.	Reserved wards for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(1) Ward No. 01, Shastri Ward (2) Ward No. 09, Ambedkar Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 04, Tatyia Tope Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(1) Ward No. 02, Bhagat Singh Ward (2) Ward No. 03, Vallabh Bhai Patel Ward (3) Ward No. 07, Guru Nanak Ward (4) Ward No. 15, Nehru Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste (Women)	01	(1) Ward No. 01, Shastri Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 03, Vallabh Bhai Patel Ward (2) Ward No. 07, Guru Nanak Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5, & 6) (Women)	04	(1) Ward No. 06, Rani Durgavati Ward (2) Ward No. 12, Jegdamba Ward (3) Ward No. 13, Rajendra Ward (4) Ward No. 14, Azad Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2020

अधि. क्र. 226-एफ 01-311-2020-अठारह-3.- मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् कटंगी, जिला- बालाघाट के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल आरक्षित वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 04, सरदार भगत सिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 03, सुभाष वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 06, थाना वार्ड (2) वार्ड क्र. 07, शिव मंदिर वार्ड (3) वार्ड क्र. 08, नेहरू वार्ड (4) वार्ड क्र. 10, मुण्डीवाड़ा वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 07, शिव मंदिर वार्ड (2) वार्ड क्र. 10, मुण्डीवाड़ा वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्र. 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्र. 01, अर्जुननाला वार्ड (2) वार्ड क्र. 02, जयप्रकाश नारायण वार्ड (3) वार्ड क्र. 05, इंदिरा गांधी वार्ड (4) वार्ड क्र. 11, संजय वार्ड (4) वार्ड क्र. 15, गांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 1-311-2020-अठारह-3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 226 एफ 01-311-2020-अठारह-3, दिनांक 8 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 8th October 2020

Not-No 226 F-01-311/2020/18-3 In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Katangi District Balaghat published as Follows.

No.	Reserved wards for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	01	(1) Ward No. 04, Sardar Bhagat Singh Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 03, Subhash Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(1) Ward No. 06, Thana Ward (2) Ward No. 07, Shiv Mandir Ward (3) Ward No. 08, Nehru Ward (4) Ward No. 10, Mundiwara Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste (Women)	Nil	Nil
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 07, Shiv Mandir Ward (2) Ward No. 10, Mundiwara Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5, & 6) (Women)	05	(1) Ward No. 01, Arjunnala Ward (2) Ward No. 02, Jaiprakash Narayan Ward (3) Ward No. 05, Indira Gandhi Ward (4) Ward No. 11, Sanjay Ward (5) Ward No. 15, Gandhi Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2020

अधि. क्र. 227-एफ 01-293-2020-अठारह-3.- मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद लांजी, जिला- बालाघाट के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल आरक्षित वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 10, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 01, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 15, पं. दीनदयाल वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 06, पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्र. 08, छत्रपति शिवाजी वार्ड (3) वार्ड क्र. 13, लाला लाजपत राय वार्ड (4) वार्ड क्र. 14, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 15, पं. दीनदयाल वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 06, पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्र. 08, छत्रपति शिवाजी वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्र. 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 02, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्र. 04, शहीद भगत सिंह वार्ड (3) वार्ड क्र. 05, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड (4) वार्ड क्र. 07, डॉ. आम्बेडकर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 1-293-2020-अठारह-3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 227 एफ 01-293-2020-अठारह-3, दिनांक 8 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 8th October 2020

Not-No 227) F 01-293/2020/18-3 In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Lanji District Balaghat published as Follows.

No.	Reserved wards for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	01	(1) Ward No. 10, Chandrashekhar Azad Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	02	(1) Ward No. 01, Mahatma Gandhi Ward (2) Ward No. 15, Pt. Deendayal Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(1) Ward No. 06, Pt. Jawaharlal Nehru Ward (2) Ward No. 08, Chhatrapati Shivaji Ward (3) Ward No. 13, Lala Lajpatrai Ward (4) Ward No.14, Dr.Shyama Prasad Mukherjee Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste (Women)	Nil	Nil
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	01	(1) Ward No. 15, Pt. Deendayal Ward
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 06, Pt. Jawaharlal Nehru Ward (2) Ward No. 08, Chhatrapati Shivaji Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5, & 6) (Women)	04	(1) Ward No. 02, Lal Bahadur Shastri Ward (2) Ward No. 04, Shaheed Bhagatsingh Ward (3) Ward No.05, Netaji Subhash Chandra Bose Ward (4) Ward No. 07, Dr. Ambedkar Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.